

अपील संख्या 30/2025 बअनवान धनराज वगैरह बनाम कालूसिंह वगैरह
अपील संख्या 31/2025 बअनवान धनराज वगैरह बनाम कालूसिंह वगैरह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 31 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोंडेंटगण
1. धनराज पुत्र केसाराम उर्फ केसरसिंह 2. शांयती पत्नी केसाराम उर्फ केसरसिंह 3. सांवल पुत्र रतनाराम, समस्त जातियान पुरोहित, निवासीगण खाखरलाई, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।	1. कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. वरदुसिंह पुत्र भंवरसिंह, समस्त जातियान पुरोहित, निवासीगण खाखरलाई, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2024 बअनवान कालूसिंह बनाम धनराज वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2024 के विरुद्ध पेश हुई।

और

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2025 / बाड़मेर
अपीलांट

अपीलांट	रेस्पोंडेंटगण
1. धनराज पुत्र केसाराम उर्फ केसरसिंह 2. शांयती पत्नी केसाराम उर्फ केसरसिंह 3. सांवल पुत्र रतनाराम, समस्त जातियान पुरोहित, निवासीगण खाखरलाई, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।	1. कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. वरदुसिंह पुत्र भंवरसिंह, समस्त जातियान पुरोहित, निवासीगण खाखरलाई, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2024 बअनवान कालूसिंह बनाम धनराज वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.01.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति:-

- वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलांट की ओर से।
- वकील श्री ललित जांगीड़ उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से
- शेष रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांक:—28.07.2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व चाद संख्या 110/2024 बअनवान कालूरिंह बनाम धनराज वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2024 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.01.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग-अलग मूल निर्णय की प्रति रखी जावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा अपील संख्या 31/2025 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा खाखरलाई तहसील सिवाना में खसरा संख्या 107 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी आयी हुई हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती हिस्सों में दर्ज है किन्तु मौके पर वादी व प्रतिवादीगण वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। राजस्व रेकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी का संयुक्त दर्ज होने से वादी/रेस्पों. संख्या 01 को काश्त करने, ऋण लेने एवं अपने जोत को उपजाऊ बनाने में अड़चने आ रही हैं। इस हेतु वादी/रेस्पों. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को बिना तामील ही एकतरफा कार्यवाही कर वादी की एकतरफा साक्ष्य लेकर विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा निर्णय पारित किया है। जिसमें अपीलाण्ट के कब्जे-काश्त पर गौर किये बिना व अपीलाण्ट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मौजा खाखरलाई, तहसील सिवाना में खसरा संख्या 107 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी आयी हुई है। जिसमें अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट्स का संयुक्त हक-हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी/रेस्पों. द्वारा वाद पत्र अनुसार बंटवारा करवाने हेतु वाद अधीनस्थ

(निवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

न्यायालय में पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद पत्र को दिनांक 03.09.2024 को दर्ज कर पत्रावली चारते प्रतिवादीगण तामील दिनांक 06.09.2024 को मुकर्र की गई। जिसकी पालना में वादी द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये पंजीकृत डाक से दिनांक 04.09.2024 को प्रेषित किये जिनको दिनांक 07.09.2024 को डिलेवर होना बताया। यहां यह निवेदन किया जाना उचित होगा कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद की तारीख पेशी दिनांक 06.09.2024 को मुकर्र थी जबकि प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक 07.09.2024 को तामील/प्राप्त होना मान कर हम अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरुद्ध है। किन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी के एकतरफा साक्ष्य लिया जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2024 को विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये ही अपीलांट को साक्ष्य या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की जो माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट संख्या 01 से 06 व 15 व अन्य का कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग व रहवासी ढाणी, मकान, टांके इत्यादि बने हुए का गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत जाकर मौका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की गलत तरीके से तामिल बताते हुए एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए इनके वारिसानों के हकों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट/प्रतिवादी को जबावदावा प्रस्तुत करने, साक्ष्य पेश करने एवं जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य सबूत देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, किन्तु अपीलाधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव पाया गया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था।

उक्तानुसासर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उतरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा खाखरलाई तहसील सिवाना में खसरा संख्या 107 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी आयी हुई है। जिसमें अपीलांटस एवं रेस्पोंडेन्ट्स का संयुक्त हक-हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी/रेस्पों. द्वारा वाद पत्र अनुसार बंटवारा करवाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया: विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा है। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 से 03 (वादीगण) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपाजळ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी

(निवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


अपील संख्या 30/2025 बअनवान घनराज वगैरह बनाम कालूसिंह वगैरह
अपील संख्या 31/2025 बअनवान घनराज वगैरह बनाम कालूसिंह वगैरह

भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांटस को सूचित किया गया है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत प्राथमिक डिक्री की हस्तगत अपील संख्या 31/2025 को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

।
कारी

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस की विधिक तागील करवाये बिना ही इनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य रायूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काश्त अनुसार बराबर-बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।


अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2024 बअनवान कालुसिंह बनाम धनराज वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2024 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.01.2025 विधि विरुद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान


(निवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बायमेर

अपील संख्या 30/2025 बअनवान घनराज वगैरह बनाम कालूसिंह वगैरह
अपील संख्या 31/2025 बअनवान घनराज वगैरह बनाम कालूसिंह वगैरह

काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


29/07/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


29/07/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर